मैसर्स परख फूडस लिमि.

बनाम

आंध्रप्रदेश राज्य एवं अन्य

(आपराधिक अपील सं. 559 सन 2008)

(न्यायमूर्ति पी. पी. नाओलेकर एवं न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा)

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955- नियम 37 डी खाद्य तेल व फैटस की लेवलिंग- "रिफांइड सोयाबीन ऑयल" के निर्माता व विक्रेता के विरुद्ध मिथ्या छाप का प्रकरण- लोक विश्लेषक की रिपोर्ट यह कि "रिफांइड सोयाबीन ऑयल" के लेवल पर सब्जियों के चित्र उत्पाद की गुणवत्ता की अतिश्योक्ति है। निर्णीत- नियम 37 डी का उल्लंघन व मिथ्या छाप का मामला नहीं बनता- लेवल पर सब्जियों के चित्र यह दर्शाने के लिए थे कि खाद्य पदार्थ का उपयोग चित्र में दिखाई सब्जियों को पकाने के लिए किया जा सकता है- दिखाई गई सब्जियों सोयाबीन तेल के गुणवत्ता को इंगित नहीं करता और ना ही उसकी गुणवत्ता को अतिश्योक्ति करता है। इस प्रकार उच्च न्यायालय के आदेश को रदद कर दिया गया- खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 कानून की व्याख्या- एजुस्डेम जेनेरिस का सिद्धांत- खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 37 डी के निर्वचन सिद्धांत की प्रयोज्यता।

अपीलकर्ता "रिफांइड सोयाबीन तेल" के निर्माण व विक्रय में लगा हुआ है प्रत्यर्थी सं 2 को तेल की गुणवत्ता में अपमिश्रण का संदेह तथा विक्रेता से तीन पैकेट तेल के क्रय किये-अन्वेषण में लोक विश्लेषक अभिनिर्धारित करता है कि लेवल में पत्ता गोभी, गाजर, बैंगन, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज जैसी सब्जियों की तस्वीरें थी जिनका सोयाबीन तेल से कोई लेना देना नहीं था और ये उत्पाद की गुणवत्ता की अतिश्योक्ति थी। जिस कारण यह खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के नियम 37 डी का उल्लंघन था। खाद्य निरीक्षक द्वारा एक परिवाद दर्ज कराया गया! धारा 2(1x)(K)

तथा धारा 7(ii) सपठित नियम 37 डी के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 16 (1)(a)(i) के अंतर्गत एक प्रकरण दर्ज कराया गया। अपीलार्थी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 482 में पिटीशन दर्ज कर अभियोजन को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने यदयपि अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमा रदद कर दिया किन्तु मिथ्या छाप का मामला बना दिया। जिस कारण यह वर्तमान अपील है।न्यायालय ने अपील को स्वीकार कियाः-

1.1 खाद्य तेल व फेट के लेवलिंग बाबत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1955 के नियम 37 डी में प्रावधान किये गये हैं जो खाद्य तेल व वसा के लेवलिंग बाबत निदिर्ष्ट करता है। निर्णीत् नियम में यह स्पष्ट अभिकथित है कि खाद्य तेल और वसा के पैकेज लेवलिंग और विज्ञापन में i. सुपर रिफाइंड, ii. एक्सट्रा रिफाइंड, iii. माइक्रो रिफाइंड, iv. डबल रिफाइंड, v. अल्ट्रा रिफाइंड, vi. एंटी कोलेस्ट्रॉल, vii. कोलेस्ट्रॉल फाइटर, viii. सुथिंग टू हार्ट ix. कोलेस्ट्रॉल फ्रेंडली, x. सेचुरेटेड फेट फ्री, इत्यादि जैसे अभिव्यिक्तयों का उपयोग नहीं किया जाये। उक्त 1 लगायत 10 अभिव्यिक्तयों को निषेधित किया गया है क्योंकि यदि उनको उत्पाद की लेवलिंग पर जिक्र किया जाता है तो वह उत्पाद के गुणवत्ता को अतिश्योक्तिपूर्ण कर देगा। नियम आगे यह भी अभिकथित करता है कि इस प्रकार अन्य अभिव्यक्त भी निषेधित है जो उत्पाद की गुणवत्ता को अतिश्योक्तिपूर्ण करते है। इस नियम के निर्वचन हेतु एजेस्टिन जेनेरिस का सिद्धांत उपयोग किया जा सकता है। एजेस्टिन जेनेरिस लेटिन अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ "समान प्रकार" है! उदाहरण के लिए जहां एक कानून विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति या चीजों को सूचीबद्ध करता है और उन्हें सामान्य रूप से संदर्भित करता है वहां सामान्य कथन केवल उसी प्रकार के विशेष रूप से सूचीबद्ध व्यक्तियों और वस्तओं के अनुसार लागू होते है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है एक ही वर्ग के शब्द। (पैरा 8)

1.2 नियम 37 डी में प्रयुक्त शब्द "ऐसेे अन्य" को उस विषय वस्तु के साथ पढा जाना चाहिए जिसमें उनका उपयोग किया गया है। नियम के अपशिष्ट खण्ड को 10

निषिद्ध अभिव्यक्तियों के प्रकाश में पढा जाना चाहिए और यह स्पष्ट कर देता है कि उत्पाद की गुणवत्ता को अतिश्योक्ति करने वाले किस अभिव्यक्ति को निषेधित किया गया है। (पैरा-9)

ब्लैक लॉ डिक्शनरी 8th एडिशन 2004- रेफर टू

2. वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने जिस उत्पाद के लेवल पर सब्जियों के चित्र को उपयोग किया है कि वह रिफाइंड सोयाबीन तेल है। अपीलकर्ता के अनुसार (चित्र) उस उददेश्य को दर्शाने के लिए जिसके लिए तेल का उपयोग किया जा सकता है अर्थात सब्जियों की तैयारी (कुकिंग) को उस पर दर्शाया गया है। जब तक खाद्य तेलों और वसा के लेवल पर दर्शाई गई चित्र उत्पाद को गुणवत्ता को बढा चढाकर पेश नहीं करती तब तक यह नियम 37 डी के उल्लंघन के दायरे में नहीं आएगी। सोयाबीन तेल के लेवल पर जो सब्जियों दिखाई गई है वह किसी भी तरह के उत्पाद की गुणवत्ता को इस प्रकार नहीं दर्शाती कि सोयाबीन तेल सुपर रिफाइंड, एक्सट्रा रिफाइंड, माइक्रो रिफाइंड, डबल रिफाइंड, अल्ट्रा रिफाइंड, एंटी कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टोल फाइटर, सुथिंग टू हार्ट, कोलेस्ट्रॉल फ्रेंडली, सेचुरेटेड फेट फ्री इत्यादि हो, ना ही यह पीएफए के नियमों के नियम 37 डी के दायरे में आने वाले उत्पाद की गुणवत्ता के प्रति अतिश्योक्ति को इंगित करता है। उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गंभीर गलती की है कि खाद्य पदार्थ (सोयाबीन तेल) मिथ्या छाप था क्योंकि लेवल पर चित्रित तस्वीर का संबंधित प्रश्नगत खाद्य पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है, इस तथ्य को पूर्णतः अनदेखा किया है कि खाद्य पदार्थ कुकिंग करने में उपयोग ली जा सकती है जो सब्जियों चित्र में दर्शायी उनको प्रश्नगत खाद्य पदार्थ के गुणवत्ता को बढा चढाकर पेश करने वाला नहीं कहा जा सकता। उच्च न्यायालय का मिथ्या छाप और पीएफए रूल्स के नियम 37 डी के उल्लंघन बाबत निष्कर्ष को खारिज कर दिया गया। (पैरा 10 व 11) [537-C,D,E,F,G]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं 559 सन 2008

हैदराबाद स्थित आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के क्रि.पि.नं. 2841 सन 2007 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 20-07-2017 के विरुद्ध अपील।

अपीलांट की और से- अशोक एच देसाई मैसर्स अमित ढींगरा व अमन लीखा (मैसर्स दुआ एसोसिएट के लिए)

प्रत्यर्थी की और से डी. भारथी रेडडी

न्यायमूर्ति पी. पी. नाओलेकर

1- अनुमति प्रदत्त की गई।

2- यह अपील आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि अभिलेख के साक्ष्य से प्रश्नगत खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल है। लेवल में पत्ता गोभी, गाजर, बैंगन, शिमला मिर्च, फूल गोभी, टमाटर और प्याज जैसी सब्जियों के चित्र है जो किसी भी तरह से सोयाबीन तेल से संबंधित नहीं है। यदयपि अपीलार्थी के अभियोजन को रदद् कर दिया गया है लेकिन मिथ्या छाप का स्पष्ट मामला बनता है।

3- प्रकरण के सुसंगत तथ्य यह है कि अपीलार्थी मैसर्स परख फूड लिमिटेड (वर्तमान मै.कारगिल फूडस लि.), कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक पंजीकृत कंपनी है। अपीलार्थी "शक्तिमान रिफाइंड सोयाबीन तेल" तेल के उत्पाद व विक्रय में लगा हुआ है जो तेल "खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 (जिसे आगे "अधिनियम" शब्द से संबोधित किया है) की परिधि में आने वाला खाद्य पदार्थ है। इस खाद्य पदार्थ का पूरे देश में विक्रय व विपणन किया जाता है। प्रत्यर्थी सं. 2 खाद्य निरीक्षक जिला महबूबनगर, आंध्रप्रदेश द्वारा दिनांक 23-12-2003 को पुरानी गंज महबूबनगर में स्थित मो. दिलावर जनरल एण्ड आइल, दुकान सं 2-10-4 का निरीक्षण किया। शिकायत में विक्रेता आरोपी नं. 1 बताया है। प्रत्यर्थी सं. 2 ने एक कार्टन पाया जिसमें मानव उपयोग के लिए विक्रय हेतु रखे गये शक्तिमान रिफाइंड सोयाबीन तेल के 20 पैकेट थे।

जिनके अपमिश्रित होने बाबत प्रत्यर्थी सं. 2 को संदेह हुआ और उसने 1 लीटर तेल वाले तीन पैकेट खरीद विक्रेता से नकद रसीद प्राप्त की। इसके बाद पैकेटों को लोक विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला, नाचाराम, हैदराबाद को भेजा गया। लोक विश्लेषक ने दिनांक 31-01-2004 को अपनी रिर्पोट दी एवं अपनी राय दी कि लेवल में पत्ता गोभी, गाजर, बैंगन, शिमला मिर्च, फूल गोभी, टमाटर एवं प्याज जैसी सब्जियोंे के चित्र है जो किसी तरह से सोयाबीन तेल से संबंधित नहीं है और कहा कि लेवल पर सब्जियों की तस्वीरें उत्पाद की गुणवत्ता की अतिश्योक्ति है और इस कारण खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 (जिसे आगे "पीएफए" नियम से संबोधित किया है) के नियम 37(डी) के उल्लंघन में मिथ्या छाप है।

4- तदानुसार खाद्य निरीक्षक ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अधिनियम के प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज की। अधिनियम की धारा 2(IX)(K) एवं अधिनियम की धारा 7(ii) के साथ सपठित PFA नियम 37 D के उल्लंघन बाबत u/s 16 (i)(a)(i) तहत प्रकरण दर्ज किया।

5- दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 482 के तहत याचिका दायर कर अपीलकर्ता के विरूद्ध किये अभियोजन को चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20-07-2007 को आपराधिक प्रोसिडिंग को निर्णीत किया और उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विक्रेता ने निर्माण के संबंध में कोई वारंटी नहीं दी इसलिए निमार्ता या डीलर पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जब शिकायत में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि विक्रेता ने आरोपी नं. 2 जो कि अपीलार्थी है से संबंधित खाद्य पदार्थ की खरीद के संबंध में कोई वारंटी या बिल पेश किया हो तब केवल लेवल घोषणा के आधार पर अपीलकर्ता को अभियोजित नहीं किया जा सकता! फिर भी यह रदद करने का आदेश संबंधित मजिस्टेट को कोई अपराध बनता है तो अपीलकर्ता को मुकदमे के दौरान आरोपी के रूप में पेश करने से नहीं रोकेगा।

6- उच्च न्यायालय ने यह भी मत प्रकट किया कि यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत खाद्य वस्तु मिथ्या छाप वाली है क्योंकि लेवल पर मौजूद किसी भी चित्र का प्रश्नगत खाद्य पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। इसलिए यह पीएफए नियमों के नियम 37 डी का स्पष्ट उल्लंघन होना निर्णीत किया। इस निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान अपील की गई।

7- अपीलकर्ता के विद्वान व वरिष्ठ वकील श्री अशोक एच देसाई ने तर्क दिया कि खाद्य पदार्थ को केवल तभी मिथ्या छाप वाला माना जा सकता है जब लेवल पर या अन्यथा एवं खाद्य पदार्थ के संबंध में गलत दावे किये गये हो और अधिनियम के अंतर्गत ऐसे खाद्य पदार्थ के लेवल पर सब्जियों की तस्वीरें छापने बाबत वैधानिक प्रतिषेध नहीं है जिस उक्त खाद्य पदार्थ का उपयोग ऐसी सब्जियों की तैयारी या खाना पकाने में किया जा सकता है। जबकि राज्य की और से विद्ववान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि पर मौजूद तस्वीरें उस वस्तु से संबंधित नहीं है जिसे अपीलकर्ता बनाता और बेचता है और इसलिए यह मिथ्या छाप के रूप में पीएफए नियमों के नियम 37 डी के उल्लंघन के अंतर्गत आयेगा।

संबंधित प्रावधान निम्नानुसार है-

नियम 37 डीः खाद्य तेल व वसा का लेवलिंग-खाद्य तेल व वसा के पैकेज, लेवल और विज्ञापन में "सुपर रिफाइंड", "एक्सट्रा रिफाइंड", "माइक्रो रिफाइंड", "डबल रिफाइंड", "अल्ट्रा रिफाइंड", "एंटी कोलेस्ट्रॉल", "कोलेस्ट्रॉल फाइटर", "सुथिंग टू हार्ट", "कोलेस्ट्रॉल फ्रेंडली", "सेचुरेटेड फेट फ्री" या ऐसे अन्य अभिव्यक्तियों जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा चढ़ाकर (अतिश्योक्तिपूर्ण) दर्शाती है, उनका उपयोग नहीं किया जायेगा"

8. खाद्य तेल व वसा के लेवलिंग बाबत पीएफए नियमों के नियम 37 डी के अंतर्गत है जो कि तेल व वसा के लेवलिंग प्रावधान को निदिर्ष्ट करता है। यह नियम स्पष्ट रूप से अभिकथन करता है कि खाद्य तेल व वसा के पैकेज, लेवल और विज्ञापन

में B. i सुपर रिफाइंड, ii एक्सट्रा रिफाइंड, iii माइक्रो रिफाइंड, iv डबल रिफाइंड, v अल्ट्रा रिफाइंड, vi एंटी कोलेस्ट्रॉल, vii कोलेस्ट्रॉल फाइटर, viii सुथिंग टू हार्ट ix कोलेस्ट्रॉल फ्रेंडली, x सेचुरेटेड फेट फ्री इत्यादि अभिव्यक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। अतः यह कहना उचित होगा । से X तक वर्णित अभिव्यक्तियां निषिद्ध है क्योंकि यदि उत्पाद के लेवलिंग पर उनका उल्लेख किया गया तो वे उत्पाद की गुणवत्ता को बढा चढाकर पेश करेगा। नियम में आगे कहा गया है कि ऐसे सभी अन्य अभिव्यक्तियां भी निषिद्ध है जो उत्पाद के गुणवत्ता को बढा चढाकर पेश करती है। निर्वचन के प्रयोजन के लिए एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। एजुस्डेम जेनेरिस एक लैटिन अभिव्यक्ति है इसका अर्थ है "एक ही प्रकार का" उदाहरण के लिए जहां कानून व्यक्तियों या चीजों के विशिष्ट वर्गों को सूचीबद्ध निदिर्ष्ट करता है और फिर उन्हें सामान्य में संदभिर्त करता है ऐसा सामान्य कथन हो केवल उसी प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं पर लागू होते हैं जैसे सूचीबद्ध हो। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ समान वर्ग के शब्द है ब्लैक ला डिक्शनरी (8 वां संस्करण 2004) के अनुसार एजुस्डेम जेनेरिस का सिद्धांत वह है जहां व्यक्तियों या वस्तुओं की गणना का सामान्य शब्दों में अनुसरण किया जाये और शब्द विशेष और विशिष्ट अर्थ के हों। ऐसे सामान्य शब्दों को उनकी व्यापक सीमा में नहीं समझा जाना चाहिए लेकिन इसे केवल उसी वर्ग या प्रकार के व्यक्तियों या चीजों पर लागू माना जाएगा जिनका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यह वैधानिक निर्माण का एक सिद्धांत है जहां सामान्य शब्द चीजों के विशेष वर्गों की गणना का पालन करते हैं। सामान्य शब्दों को केवल उसी सामान्य वर्ग की चीजों पर लागू जाना जाएगा जैसा गिना गया है।

9- उक्त सिद्धांत को मस्तिष्क में रखते हुए नियम 37 डी में प्रयुक्त शब्द "ऐसे अन्य" को जिस मामले में प्रयुक्त किया गया है उस विषयानुसार पढा जाएगा। नियम के अवशिष्ट खण्ड को दस निषिद्ध अभिव्यक्तियों के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए और यह

स्पष्ट करता है केवल वह अभिव्यक्तियां जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाती है वे ही निषिद्ध है।

10- इस वर्तमान मामले में यह सही है कि अपीलांट ने सब्जियों के चित्र का उपयोग जिसके लेवल पर किया वह उत्पाद रिफांइड सोयाबीन ऑयल है। अपीलकर्ता के अनुसार उस उददेश्य को दर्शाने के लिए है जिसके लिए तेल का उपयोग किया जा सकता है अर्थात चित्रित सब्जियों की तैयारी। जब तक खाद्य तेल व वसा के लेवल पर दर्शाई गई चित्र उत्पाद की गुणवत्ता की अतिश्योक्ति नहीं करती तब तक यह नियम 37 डी के उल्लंघन के दायरे में नहीं आयेगा। वर्तमान मामले में, सोयाबीन तेल के लेवल पर दिखाई गई सब्जियों, सोयाबीन तेल की गुणवत्ता में सुपर रिफाइंड, एक्सट्रा रिफाइंड, माइक्रो रिफाइंड, डबल रिफाइंड, अल्ट्रा रिफाइंड, एंटी कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल फाइटर, सुथिंग टू हार्ट, कोलेस्ट्रॉल फ्रेंडली, सेचुरेटेड फेट फ्री इत्यादि होना नहीं दर्शाती है और ना ही उत्पाद की गुणवत्ता के प्रति ऐसी अतिश्योक्ति का संकेत देती है जो पीएफए नियमों के नियम 37 डी का उल्लंघन हो। हमारी राय में उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंच गंभीर गलती की है कि खाद्य पदार्थ (सोयाबीन तेल) मिथ्या छाप था क्योंकि लेवल पर चित्रित तस्वीर का संबंधित प्रश्नगत खाद्य पदार्थ से लेना देना नहीं है। इस तथ्य का पूर्णतः अनदेखा किया है कि खाद्य पदार्थ चित्रित की गई सब्जियों के कुकिंग करने के उपयोग में किया जा सकता है। जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह प्रश्नगत खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाला हो।

11- उपरोक्त कारणों से अपील को स्वीकार किया जाता है और उच्च न्यायालय के मिथ्या छाप व पीएफए नियमों के नियम 37 डी के उल्लंघन के आक्षेपित आदेश को खारिज किया जाता है।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी बालकृष्ण कटारा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।